



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://file.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: dsce@rediffmail.com Ph. 0141-2706736 (O).

क्रमांक: एफ-4 (337)आकाश/वि.स./2006/ 5579

दिनांक- 11.08.2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी विद्यमान 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निजी महाविद्यालय नीति की अन्तर्गत महाविद्यालय प्रसार समिति द्वारा संचालित मेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोक को वर्ष 2016-17 (एक शत्रु) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित विज्ञान व वाणिज्य संकाय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अधिवृद्धि स्वीकृत की जाती है अतः नीचे संकेतित प्रमाण पत्र हेतु सहाय्य प्राप्त होगी।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुबनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. डिप्टी सचिव, माओ तथा शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, टोक।
5. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. समन्वित संस्था/महाविद्यालय।
7. सॉल्विडकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निर्देशक (वि.स.)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2006-07/ 9 ए

दि 14/8/06

कुल सचिव,
एम.डी.एस. विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय:- सब 2006-07 में सामान्य क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय सब 2006-07 में प्रारम्भ करने हेतु निर्माकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित सकाय/दिपय हेतु एक वर्ष के 10 अस्थाई प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	स्पोसर संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/सकाय
1	2	3	5
1	मेहरू शिक्षा प्रसार समिति, मेहरू भवन, पुरानी टोंक, टोंक	मेहरू महाविद्यालय, टोंक	स्नातक स्तर पर कला सकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, संगीत, फारसी, उर्दू, लोक प्रशासन, गणित बी.बी.ए. बी.सी.ए.

- संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्ध की कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय तैयार होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
- संस्कृत सरकार-द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताकारी शिक्षकों तथा कमरागत कार्य के लिए) का होना आवश्यक है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION TONK

(34)

No. 4565

Date. 13-10-25

The Secretary
Nehru Shiksha Prasar Samiti
Tonk (Raj.)

Subject:- Regarding Safety Certificate of Nehru Shiksha Prasar Samiti
Charai Road Tonk (Raj.)

Ref :- Ref. of Deposting Fee GRN No. 0104500591 Dated 30.04.2025
for Rs. 6000/-

Sir,

It is to inform that above building has been inspected by Assistant Engineer PWD Sub. Division III Tonk on dated 29.04.2025 On the basis of formal recommended by you & affidavit furnished by owner. It is to certify that this Building is safe for Institute activities except natural calamity.

This Certificate is valid for a period 3 (Three) Year i.e. only up to 29.04.2027 (date) Subject to regular upkeep and satisfactory Annual maintenance by Institute owner.

Note : This certificate will stand void automatically, if the building is used for any other purpose other than the Institute activities at any time during the year.

Yours Faithfully

(Deen Mohammad)
Executive Engineer
PWD Division Tonk

No.

Date.....

Copy to the Assistant Engineer PWD Sub. Div III Tonk with reference to your latter No. 434 dated 29.04.2025.

(Deen Mohammad)
Executive Engineer
PWD Division Tonk